

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी:-



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला संत कबीर नगर
 तहसील घनघटा
 आवेदन क्र० 15560030010780
 प्रमाणपत्र क्र० 560331503209

जासी दिनांक: 06/06/2015

प्रमाणित किया जाता है कि
 पुत्र/पुत्री
 माता का नाम
 निवासी
 ग्राम
 तहसील
 जिला

कु. ज्योति साहनी
 श्री सुगीम साहनी
 श्रीमती शीला देवी
 पोस्ट बरपरवा
 बरपरवा
 घनघटा
 संत कबीर नगर



उत्तर प्रदेश राज्य की केवट/मल्लाह जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1984 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **कु. ज्योति साहनी** पूर्वोक्त अधिनियम 1984 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जिसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 39 प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी० III, दिनांक 20 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1947 में तथा विधिपूछ सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र:
 पद:
 स्थान:
 दिनांक:
 हस्ताक्षर एवं महर

किसान सेवा समिति
 संत कबीर नगर, संत कबीर नगर
 संत कबीर नगर, संत कबीर नगर

MEWALAL
 Digitally Signed by MEWALAL
 O=Personal
 C=IN/IN=MEWALAL
 S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
 डिजिटल हस्ताक्षरित
 घनघटा, संत कबीर नगर
 दिनांक: 06/06/2015

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सहबन्धित केन्द्र के अधिकारी कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edisistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।